निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /CT(DEO)-147/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला आबकारी अधिकारी पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला आबकारी अधिकारी पिथौरागढ़ के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी0के0 श्रीवास्तव एवं कलवन्त सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 12.02.2018 से 19.02.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1) परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एन0के0 बन्सल स0स0अ0 एवं श्री निखिल गोस्वामी, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 07.06.2016 से 14.06.2016 तक श्री अशोक कुमार लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/14 से 03/16 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः –** सम्पूर्ण पिथौरागढ़ जनपद
3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत 3 वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (☐**लाख मे)**
2014-15	4923.81
2015-16	5642.41
2016-17	5911.49

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	-	-	52.57	48.3	-	-
2015-16	-	-	-	-	67.00	63.37	-	-

2016-17	-	-	-	-	65.75	65.45	-	-

(ii) (ब) बजट का विवरण :-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत

है:(□ लाख में)

(1) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0ओ0 द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना राजस्व को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, आबकारी > अपर आबकारी > अपर, आबकारी > आयुक्त संयुक्त आबकारी> उप आबकारी, आयुक्त> सहायक आबकारी, आयुक्त >आबकारी, निरीक्षक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **जिला आबकारी अधिकारी पिथौरागढ़** को **जिला आबकारी अधिकारी पिथौरागढ़** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व : माह 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह 08/2016 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 "अ"

प्रस्तर- 1: निश्चित समयाविधि में दस्तावेज़ जमा न कराने के बावजूद जमा राजस्व जब्त न किया जाना रु 508.74 लाख ।

उत्तराखंड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना सं॰ 118/XXIII/2016/04(01) 2016, देहरादून दिनाँक 25.02.2016 द्वारा प्रख्यापित आबकारी नीति, 2016-17 के बिन्दु सं॰ 18 द्वारा देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों के आवंटन के सम्बंध में आवेदक की पात्रता हेतु निम्नलिखित शर्तों का प्रावधान किया गया था : -

(तीन) दुकान आवंटित होने के 20 दिन के अन्दर यदि अनुज्ञापी हैसियत प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र और स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करता है तो इस दशा में अनुज्ञापी को अवांटित देशी/विदेशी मदिरा दुकान का आवंटन अनुज्ञापी के जोखिम The Uttarakhand Excise (Settlement of licences for retail sale of country liquor/foreign liquor/beer Rule 2001) से स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा की गयी समस्त राजस्व को सरकार के पक्ष में जब्त कर दिया जायेगा ।

(पाँच) आवेदक को आवेदन पत्र में अपना आयकर विभाग से प्राप्त पैन नम्बर अंकित करना होगा, किन्तु यदि किसी आवेदक के पास पैन नम्बर नहीं है तो उसे दुकान आवंटन के 20 दिन के अंदर पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे दिया गया लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा।

जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़ के लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षा में वर्ष 2016-17 में आवंटित दुकानों की पत्रवालियों की जाँच में पाया गया कि संलग्न विवरण अनुसार 21 आवंटियों (12 विदेशी एवं 09 देशी) द्वारा वांछित अभिलेख विलम्ब से जमा कराये गये थे परंतु उनके द्वारा जमा रु 50874400/- को नियमानुसार सरकार के पक्ष में जब्त नहीं किया गया था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि दुकान आवंटन के समय ही समस्त अनुज्ञापियों को वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित समयांतर्गत प्रस्तुत करने हेतु लिखित रूप से निर्देशित कर दिया गया था, जिसके उपरान्त समस्त अनुज्ञापियों द्वारा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिये गये थे।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आबकारी नीति अनुसार अनुज्ञापियों का आवंटन निरस्त करते हुये जमा राजस्व रु 50874400/- को सरकार के पक्ष में जब्त किया जाना था ।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 "अ"

प्रस्तर- 2: आवेदन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि पर कर जमा न कराया जाना रु 37.83 लाख ।

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा-2 के अनुसार "व्योहारी (dealer)", से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने कारोबार के प्रायोजन के लिए या उसके सम्बंध में अथवा उससे प्रासंगिक अथवा उसके अनुक्रम में उत्तराखंड में (चाहे लाभ के उद्देश्य से या अन्यथा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, नियमित रूप से या अन्यथा) नकद या आस्थगित भुगतान या कमीशन, परिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये माल का क्रय, विक्रय, संभरण या वितरण करने का कारोबार करता है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है:

(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग अथवा पंचायत, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, छावनी परिषद नामधारक स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई स्वायत्शाशी या कानूनी निकाय;

(42) विक्रय कीमत से मूल्यवान प्रतिफल की वह धनराशि अभिप्रेत है जो व्योहारी द्वारा किसी माल के विक्रय के लिये प्राप्त की गयी है या प्राप्य है और इसके अंतर्गत व्योहारी द्वारा परिदान के समय या इसके पूर्व उस माल के सम्बंध में किसी कार्य के निमित्त प्रभारित कोई धनराशि, उत्पादन शुल्क, विशेष उत्पादन शुल्क या कोई अन्य शुल्क या कर भी होगा ।

(50) विक्रय आवर्त (turnover of sales) से वह कुल धनराशि अभिप्रेत है, जिसके लिये किसी व्योहारी द्वारा या तो स्वयं या दूसरे के द्वारा, अपने लेखे में या या दूसरों के लेखे में, नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी माल का विक्रय, संभरण या वितरण किया जाए ।

पुनः धारा 3(7)(iv) के अनुसार कराधेय मात्रा किसी अन्य कारोबार में लगे हुये व्योहारियों के मामले में रु 5.00 लाख है एवं धारा 4(2)(ख)(i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के सम्बंध में कर की दर 13.5% है।

उत्तराखंड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना सं॰ 118/XXIII/2016/04(01) 2016 देहरादून दिनाँक 25.02.2016 के बिन्दु 5 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में विदेशी मदिरा दुकान हेतु रु 22000/- एवं देशी मदिरा दुकान हेतु रु 18000/- आवेदन पत्र शुल्क निर्धारित था जो कि नॉन-रेफण्डेबल था ।

जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़ के वर्ष 2016-17 की व्यवस्थापन पत्रावली की जाँच में विदेशी एवं देशी मदिरा तथा बियर शॉप की दुकानों की लॉटरी हेतु विक्रय किये गये आवेदन पत्रों की संख्या एवं प्राप्त राजस्व का विवरणनिम्नवत पाया गया :

वर्ष	प्राप्त/विक्रय आवेदन पत्रों की सं॰			प्राप्त धनराशि (रु लाख में)			कुल धनराशि (रु लाख में)
	विदेशी	देशी	बियर	विदेशी	देशी	बियर	
2016-17	1153	84	52	253.66	15.12	11.44	280.22

उक्तानुसार वर्ष 2016-17 में आवेदन पत्रों के विक्रय से कुल रु 280.22 लाख धनराशि लेखाशीर्ष 0039-राज्य उत्पादन शुल्क, 800-अन्य प्राप्तियाँ, 05-आवेदन शुल्क (अन्य मद) में जमा किया गया था । धारा 3(7)(iv) के अनुसार कराधेय मात्रा रु 5.00 लाख से अधिक थी। नियमानुसार आवेदन पत्रों की

बिक्री से प्राप्त धनराशि रु 280.22 लाख पर आवेदनकर्ताओं से 13.5% से रु 3782970/- कर आरोपित कर राजकोष में जमा किया जाना था जो कि जमा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि आबकारी नीति, 2016-17 में 13.5% की दर से वैट लिए जाने का प्रावधान नहीं था।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रारम्भ में उल्लिखित नियमानुसार रु 3782970/- कर के रूप में राजकोष में जमा कराया जाना था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि नीति के अनुसार विभाग द्वारा आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि प्रक्रिया शुल्क के रूप में व्यय किये जाने का उल्लेख किया गया था जबकि कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं॰ 14238/दि॰ 27.02.2016 के बिन्दु-3 की व्यवस्थानुसार अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में अतिरिक्त स्टाफ तथा कम्प्यूटर की व्यवस्था करने हेतु मात्र रु 12,000/- तक खर्च किया जा सकता था जबकि विभाग द्वारा इस प्रक्रिया पर प्रक्रिया शुल्क के रूप में कोई व्यय नहीं किया गया था एवं आवेदन पत्रों से प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि रु 280.22 लाख अपने लेखाशीर्ष में राजस्व-प्राप्ति के रूप में जमा कर दी गयी थी। आगे, उत्तराखण्ड सरकार के एक अन्य विभाग भू-तत्व एवं खनिकर्म इकाई में कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 दिनाँक 31.07.2015 में उप-खनिज के चुगान/निकासी कार्य का आवंटन भी लॉटरी प्रक्रिया द्वारा किया जा रहा है जिसमें बिना वापसी का लॉटरी शुल्क/लॉटरी प्रपत्र मूल्य रु 50000/- पर 13.5% वैट अर्थात रु 6750/- लेखाशीर्षक 0040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर 102 राज्य व्यापार कर/वाणिज्य कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ, 01 कर-संग्रहण में जमा किये जाने के स्पष्ट आदेश दिये गये हैं। एक ही सरकार के दो विभागों में समान कार्य हेतु अलग प्रक्रिया अपनाये जाने से हुई राजस्व क्षति रु 37.83 लाख का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग 2 "ब"</u>

प्रस्तर-1: स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण रू 1.10 लाख।

इंडियन स्टाम्प अधिनियम,1899 की धारा-33 के अनुसार विधि या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत, पुलिस अधिकारी के सिवाय, सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष, उसके कर्तव्य के सम्पादन में कोई ऐसा विलेख प्रस्तुत किया जाये, जो उसके राय में स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत हो कि वह विलेख यथाविधि स्टांपित नहीं है, उसे जब्त करेगा।
नियमानुसार बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क प्रत्येक 1000/- या उसके भाग के लिए रु 5.00/- परन्तु शुल्क रु 10000/- से अधिक देय नहीं होगा।

जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़ की व्यवस्थापन पत्रवालियों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 हेतु देशी एवं विदेशी के अनुज्ञापियों द्वारा अपनी द्वितीय प्रतिभूति हेतु विभिन्न बैंकों की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गयी थी एवं जो रु 100/- (प्रत्येक) के स्टाम्प से स्टांपित थी।
संलग्न विवरण अनुसार बैंक गारंटी की धनराशि के अनुसार रु 110290/- स्टाम्प शुल्क देय था जो कि नियमानुसार अनुज्ञापियों से जमा नहीं कराया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि आबकारी नीति वर्ष 2016-17 में स्टाम्प शुल्क लिए जाने सम्बन्धी स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिये गये थे।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रारम्भ में वर्णित नियमानुसार कार्यालय प्रभारी द्वारा स्टाम्प शुल्क की न्यूनारोपित बैंक गारंटी जब्त की जानी थी।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	शून्य	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

O;; ls lacaf/kr विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **जिला आबकारी अधिकारी पिथौरागढ़** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री संजय कुमार	जिला आबकारी अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला आबकारी अधिकारी पिथौरागढ़** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र